वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 23.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाल, दैनिक जागरण,आज,ज्ञानशिखा टाइम्स,राष्ट्रीय सहारा न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 23.11.2024

बेसमेंट की खोदाई से पहले लेनी होगी खनन विभाग से अनुमति

वाराणसी। शहर में भवन निर्माण के लिए वीडीए से अनुमति लेने वाले बेसमेंट के नाम पर जबरदस्त खोदाई कर रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि यदि बेसमेंट का निर्माण करा रहे हैं और अधिक खोदाई कर रहे हैं तो उन्हें खनन विभाग से भी अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों भेलूपुर में बेसमेंट के नाम पर हुई खोदाई के चक्कर में एक मजदूर की जान चली गई थी। जांच में पता चला कि वीडीए से नक्शा पास कराने के बाद वह निर्माण करा रहा था लेकिन खनन विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद काफी हो हल्ला मचा था। इस मामले में प्रशासन, वीडीए, पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। उस दौरान यह तय हुआ कि यदि कोई बेसमेंट के लिए खोदाई करे तो खनन विभाग से अनापत्ति ले ले। उधर एडीएम वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बेसमेंट के लिए खोदाई करता है तो उसे खनन विभाग से अनुमति लेनी होगी। केवल वीडीए से अनुमति लेकर सामान्य खोदाई कर सकते हैं। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 23.11.2024

वीडीए ने अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा

वाराणसी। वीडीए की टीम ने शुक्रवार को अवैध निर्माण सील किया। भेलूपुर वार्ड में राहुल सिंह और अन्य की ओर से कबीर नगर कॉलोनी जेआरएस मार्ग में दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। इसे सील कर भेलूपुर पुलिस की अभिरक्षा में दिया गया। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता राकेश सिंह की अगुवाई में कार्रवाई की गई। साथ ही भेलूपुर वार्ड में पांच अवैध निर्माण सील किए। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 23.11.2024

अब वीडीए की सीमा में 635 गांवों का 793 वर्ग किमी क्षेत्र

मिर्जापुर और चंदौली में खुलेगा वीडीए का सब जोनल कार्यालय

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए की सीमा का विस्तार तीन जिलों तक हो गया है। इनमें मिर्जापुर जिले की एक और चंदौली जिले के दो तहसील के गांवों को शामिल किया गया है। जबकि वाराणसी के राजातालाब, पिंडरा और सदर तहसील के गांवों को भी वीडीए की सीमा में शामिल किया गया है।

अब वीडीए की सीमा में 635 गांव का 793 वर्ग किमी क्षेत्र है। साथ ही इन दोनों जिलों में वीडीए के सब जोनल कार्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए दोनों जिलों के डीएम को पत्र भेजकर जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है।

स्थायी कार्यालय खोले जाने तक चंदौली के नियमताबांद विकासखंड के नियमताबाद ग्राम पंचायत और मिर्जापुर जिले के विकासखंड सीखड़ के बसारतपुर ग्राम पंचायत भवनों में सप्ताह में एक दिन सोमवार को सुबह 10 से 2 बजे तक अस्थायी कार्यालय संचालित होगा।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार वाराणसी नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, प्रमुख मार्गों पर तीव्र औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। इसके कारण नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य को सुनियोजित विकास का स्वरूप देने के लिए वीडीए ने सीमा विस्तार किया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत वीडीए का गठन किया गया था। गठन के बाद 1978 और 2016 में सीमा विस्तार के लिए संशोधन किया गया था। वीडीए ने अपनी सीमा का विस्तार किया है।

इनमें 215 राजस्व ग्रामों के 280.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है। इनमें वाराणसी की तीनों तहसीलों, चंदौली की दो तहसील सकलडीहा, पीडीडीयू नगर और मिर्जापुर की एक तहसील चुनार के राजस्व गांव शामिल हैं। इससे वाराणसी के सुनियोजित विकास में सहायता मिलेगी।

वीडीए ने वाराणसी की तहसील राजातालाब के 94 राजस्व ग्रामों का क्षेत्रफल 99.75 वर्ग किलोमीटर, तहसील पिंडरा के 30 राजस्व ग्रामों का क्षेत्रफल 59.13 वर्ग किलोमीटर, तहसील सदर के 18 राजस्व ग्रामों का क्षेत्रफल 23.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया है।

वाराणसी सदर और पिंडरा तहसील के गांव

सरैया, अहिरौली, हरदासपुर, सुलेमापुर, गुरवट, भटौली, गोसाईपुर, पल्ही पट्टी, महादेवपुर, फतेहपुर, राजापुर, रम्मांव, बरथौली, ताड़ी, गरसड़ा, हाजीपुर, दुमितवा, बेला को शामिल किया गया है। बहुतारा, जद्दुपुर, चकंदर, कैथौली, समोगरा, बेलवां, लखमीपुर, घमहापुर, सोनवरसा, टेटूआ, अहिरानी, नगापुर, पिंडराई, पिंडरा, असवालपुर, अजईपुर, जमापुर, लोकापुर, फूलपुर, सुरही, थाना, रामपुर, बर्जी, चहेरा, विन्दा, थरी, माना, प्रह्लादपुर, उधोपुर, कठरवां को शामिल किया गया है। (पूरी लिस्ट अमर उजाला की वेबसाइट पर देखें)

अमर उजाला –दि0 23.11.2024

शमन शुल्क जमा न करने वालों पर होगी कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए में शुक्रवार को अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने मानचित्रों के निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जोनल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। सील मामलों की जांच करें और बेसमेंट को खाली कराते हुए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। शिवपुर और सिकरौल में 3.26 लाख शमन शुल्क जमा कराया गया है। अप्रैल से अब तक कुल 4.98 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। यहां 51 बकायेदारों पर 1.36 करोड़ रुपये बकाया है। सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर में 5.43 लाख जमा कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6.20 करोड़ रुपये जमा हुए। यहां 86 बकायेदारों पर 2.74 करोड़ रुपये बकाया है। जिसे 15 दिन में जमा कराने का निर्देश दिया। ब्यूरो

दैनिक जागरण –दि0 23.11.2024

वीडीए ने सील किया दो अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि अस्सी घाट के पास करीब 2,000 वर्ग फीट में आठ फीट गहरा बेसमेंट की खोदाई कर कालम का निर्माण किया जा रहा था।

भवन स्वामी को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बंद करने को कहा गया था लेकिन भवन स्वामी निर्माण करता रहा। उक्त भवन को सील कर भेलूपुर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। भेलूपुर वार्ड के अवर अभियंता आरके सिंह ने बताया कि कबीर नगर कालोनी में जेआरएस रोड पर दुकान का निर्माण टीनशेड पर किया जा रहा था। उसे सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

दैनिक जागरण –दि0 23.11.2024

बेसमेंट में कारोबार करने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई : गुडाकेश

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा ने शुक्रवार को जोन एक और दो के प्रवर्तन टीम की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बेसमेंट में हरहाल में वाहन पार्किंग होनी चाहिए। बेसमेंट में कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। किसी भी दशा में क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं होने चाहिए। अवैध निर्माण में संलिप्तता मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जन शिकायतों के निस्तारण में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए।। इतना ही नहीं, शर्तों को पूरा करने वाले अवैध कालोनियों को चिह्नित कर विकासकर्ता से विकास शुल्क जमा कराएं जिससे वीडीए की ओर से भी उस कालोनी में जन सुविधाएं मुहैया कराया जा सके। बैठक में जोनल अधिकारी संजीव कुमार, सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरि, विनोद कुमार, वर्तिका दुबे, रक्षित रघुवंशी, हिमांशु आदि थे।

आज –दि0 23.11.2024

अवैध निर्माण और बकाया पर अधिकारी और कर्मचारी होंगे जिम्मेदार

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर डाक्टर गुडाकेश शर्मा ने जोन एक और दो की कार्यों की समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने दोनों जोन के अभियंताओं को सचेत किया कि सिलिंग काररवाई, बेसमेंट खाली कराना, अवैध निर्माण, पार्किंग व्यवस्था के प्रति लापरवाही बरतने वाले अभियंता या सुपरवाइजर के विरुद्ध कड़ी काररवाई की जायेगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दिया कि जन शिकायतों का निस्तारण हर हाल में एक सप्ताह में हो जाना चाहिए। जोन एक में शिवपुर, सिकरौल में कुल तीन लाख २६ हजार १९७ जमा कराया गया। जबकि अप्रैल से अभी तक कुल सम्मन राशि चार करोड़ ९८ लाख १९ हजार ३५७ रुपया है। अभी यहां ५१ बकायेदारों का बकाया है। इसी प्रकार वार्ड–२ में सारनाथ, जैतपुरा और आदमपुर में कुल पांच लाख ४३ हजार ९७४ रुपया जमा कराया गया। यहां लगभग ८६ बकायेदारों से दो करोड़ ७४ लाख ८६ हजार ५५६ रुपया जमा कराना है। अपर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बकाया राशि १५ दिन के अंदर जमा कराने के लिए नोटिस दी जाय और जमा न करने वाले लोगों के साथ कानूनी काररवाई की जाय। बैठक में सिंह गौरव अजय प्रकाश, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी, भवन लिपिक अजय कुमार श्रीवास्तव, जोन दो के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार, वर्तिका दूबे सहित क्षेत्रीय भवन लिपिक शामिल थे।

आज –दि0 23.11.2024

भेलूपुर में दो निर्माणाधीन भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर शुक्रवार को भेलूपुर वार्ड में भवन स्वामी राहुल सिंह के भवन संख्या २१/१ कबीर नगर कालोनी के पास बिना अनुमति लिये दूकानों का निर्माण कराया गया। आश्चर्य की बात है कि दूकान बनते समय इस पर वीडीए के सुपरवाइजर या अवर अभियंता की निगाह नही पड़ी। दूकान बन जाने के बाद वीडीए के अभियंताओं ने सिलिंग काररवाई करते हुए भेलूपुर थाने के अभिरक्षा में भवन को सौंप दिया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि दूकान निर्माण के समय विभाग से कोई अधिकारी नही दिखा और पूर्ण हो जाने के बाद सिलिंग की काररवाई की गयी। इसी प्रकार अस्सी घाट के समीप भवन संख्या बी१/१११ में बिना मानचित्र स्वीकृत किये भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जानकारी होने पर नोटिस दी गयी लेकिन निर्माण कार्य जारी रहा। इसे भी जोनल अधिकारी और अवर अभियंता की देख रेख में सील किया गया और भेलूपुर थाने की अभिरक्षा में भवन का निर्माण सौंप दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 23.11.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड– भेलूपुर के अन्तर्गतश्री राजेश गणेश एवं निखिल द्वारा भवन संख्या bv / Jise 111 इतिहास किचन अस्सी घाट के सामने लगभग 2000 स्क्वायर फीट के भूखंड पर नोटिस की कार्रवाई के बाद भी एचएफएल के अंतर्गत लगभग 8 फीट गहरा बेसमेंट का खुदाई कर कालम एवं का निर्माण किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश नगर नियोजन

एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त स्थल को सील कर थाना–भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया । जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी अवर अभियंता श्री राकेश सिंह मौजूद रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश –दि0 23.11.2024

अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी । इसके तहत वार्ड- भेलूपुर के अन्तर्गत श्री राहुल सिंह एवं अन्य द्वारा फ्लैट संख्या 21/1 जिंजर रोल कॉर्नर कबीर नगर कॉलोनी के पास जे0आर0एस0 रोड अंतर्गत सेट बैक में साथ दुकानों का निर्माण टीन सेडद्वारा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त स्थल को सील कर थाना-भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया ।जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी अवर अभियंता श्री राकेश सिंह मौजूद रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 23.11.2024

वाविप्रा जोन-4 प्रवर्तन टीम ने की अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत 22नवम्बर को वार्ड- भेलूपुर के अन्तर्गतश्री राजेश श्री गणेश एवं श्री निखिल द्वारा भवन संख्या 1 / बे 111 इतिहास किचन अस्सी घाट के सामने लगभग 2000 स्क्वायर फीट के भूखंड पर नोटिस की कार्रवाई के बाद भी एचएफएल के अंतर्गत लगभग 8 फीट गहरा बेसमेंट का खुदाई कर कालम एवं का निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त स्थल को सील कर थाना- भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता राकेश सिंह मौजूद रहे।

न्यायाधीश –दि0 23.11.2024

अपर सचिव वाविप्रा ने लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण के लिए दिये निर्देश

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में आज 22.नवम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 10.11.2024 से 16.11.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 3,26,197.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-4,98,19,357.00 जमा करायी गयी है, परन्तु अभी भी कुल 51 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0-1,36,64,250.00 बकाया है एवं जोन-2, के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में दिनांक 10.11.2024 से दिनांक 16.11.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-5,43,974.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,20,97,101.00 जमा करायी गयी है, परन्तु अभी भी कुल 86 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0 2,74,86,556.00 बकाया है, जिसे विलम्बतम 15 दिवस में जमा कराने हेतु फील्ड स्टॉफ एवं अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को सौंपें गये कायी के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता सुश्री प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं जोन-2 के जोनल अधिकरी, श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता सुश्री वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 23.11.2024

वीडीए ने सील किये दो अवैध निर्माण

वाराणसी । वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण, जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। भेलूपुर वार्ड के अंतर्गत राहुल सिंह एवं अन्य की तरफ से अवैध निर्माण किये जाने पर स्थल को सील कर भेलूपुर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने भेलूपुर वार्ड के अंतर्गत राजेश, गणेश एवं निखिल की तरफ से इतिहास किचन अस्सी घाट के सामने लगभग 2000 स्क्वायर फीट के भूखंड पर नोटिस की कार्रवाई के बाद भी एचएफएल के अंतर्गत लगभग 8 फीट गहरा बेसमेंट का खुदाई कर कालम का निर्माण किया जा रहा था। उक्त स्थल को सील कर थाना-भेलूपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

लंबित शमन मानचित्रों का जल्द कराएं निस्तारण

वाराणसी । अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने वीडीए में जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक के दौरान लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा करते हुए जल्द मानचित्र निस्तारण के लिए निर्देश दिया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 10 नवम्बर से 16 नवम्बर तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रुपए 3,26,197 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रुपए 4,98,19,357 जमा करायी गयी है, लेकिन अभी भी कुल 51 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रुपए 1,36,64,250 बकाया है। वहीं जोन-2, के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में 10 नवम्बर 2024 से 16 नवम्बर 2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रुपए 5,43,974 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रुपए 6,20,97,101 जमा करायी गयी है, लेकिन अभी भी कुल 86 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रुपए 2,74,86,556 बकाया है। बकाया राशि को 15 दिन में जमा कराने को फील्ड स्टॉफ व अवर अभियंता को निर्देशित किया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन व विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया।